न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 19/2024

उनवान

मुकेशकुमार जोगी पुत्र लक्ष्मणनाथ जाति जोगी निवासी तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

——वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीतारामरावत

बनाम

1. भारतसिंह ,
2. भोपालसिंह ,
3. राजूसिंह ,
4. शिवराज पुत्र प्रेमसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ,
5. दी मैनेजर पंजाब नेशनल बैक शाखा सनोद तहसील नसीराबाद ,
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित
6 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.8.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 2067 रकबा 1.46 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। [illegible] प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण [illegible] की [illegible]म नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि [illegible] विभाजन का अनुतोष चाहते है तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही [illegible] बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:08 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा

——2

उपखण्ड अधिकारी

है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 2067 रकबा 1.46 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:08 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मुकेश बनाम भारत

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 72/2022
पेश करने की दिनांक – 06.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 2067 रकबा 1.46 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वक़ील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद